न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर
बअदालत अशोक कुमार आर.ए.एस
मु.न. राजस्व वाद 13 सन 2015

फरीद खां पुत्र फायदा खां कौम मुसलमान निवासी जसवन्तसर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर
— वादी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर
— प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा रेकार्ड दुरुस्ती एवं चिर स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 A, 188 RTA एवं धारा 136 LRA

उपस्थित :- 1 श्री लालचन्द जाट अधिवक्ता वादी
2 पैरोकार राज स्टेट की ओर से।

उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर

निर्णय

दिनांक 07/08/22

आज यह पत्रावली पेश हुई। प्रकरण से सम्बधित तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 92 ए, 188 व धारा 136 LRA के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा जसवन्तसर के खसरा 431/43 मे 27 बीघा बारानी खातेदारी मे स्थित थी जो ग्राम जसवन्तसर की आबादी भूमि से चिपती हुई है। उक्त भूमि पर वादी का आवंटन [illegible] से निरन्तर कब्जा एवं काश्त चला आरहा है तथा उक्त [illegible] 431/43 तादादी 27 बीघा का लगान [illegible] किया जाता रहा है तथा वादी मे कब्जा किया है। इस प्रकार वादी राज्य सरकार का

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.02.23 18:08:48 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकृत काश्तकार है। वादी की भूमि आबादी भूमि से चिपते होने के कारण ग्रामवासियो के मांग के कारण राजस्व अभियान मे दिनांक 18-9-1986 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर द्वारा वादी की खातेदारी भूमि खसरा 431/43 तादादी 27-00 बीघा मेसे 8-00 बीघा भूमि आबादी विस्तार हेतु स्वीकृत कर इन्तकाल सं. 646 द्वारा वादी की कुल तादादी 27-00 बीघा मेसे 8.00 बीघा भूमि आबादी के नाम दर्ज करके वादी के नाम खसरा 431/43 मे 19-00 बीघा भूमि कम की गई है जिसे वादी प्राप्त करने का हकदार था एवं है।

वादी द्वारा आबादी मे ली गई भूमि के बदले मौजा रोही जसवन्तसर के खसरा 401 तादादी 8-04 बीघा भूमि आवंटन हेतु राजस्व अभियान दिनांक 18-9-1986 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर द्वारा दिनांक 18-9-1986 को वादी की आबादी मे ली गई 8-00 बीघा भूमि के बदले मे ग्राम जसवन्तसर के खसरा 401 की तादादी 8-04 बीघा भूमि वादी के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करने का मुदागाना आदेश जारी किया गया लेकिन अमलामाल की कार्य के प्रति लापरवाही व उदासीनता के कारण उक्त मुदागाना आदेश की पालना नही की गई जिसके कारण वादी की आबादी भूमि के बदले मे अन्य भूमि का इन्तकाल अपने नाम दर्ज कराने का हकदार है। वादी ने जसवन्तसर के खसरा 401 की तादादी 8-04 बीघा भूमि अपने नाम दर्ज करवाने हेतु कई बार प्रतिवादी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये। लेकिन कोई कार्यवाही नही होने से वादी को प्रतिवादी के विरुद्ध वाद घोषणात्मक एवं चिर स्थाई निषेधाज्ञा का कारण हासिल हुआ।

अतः वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर मौजा जसवन्तसर के खसरा 401 की तादादी 8-04 बीघा भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.02.23 18:08:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी लूणकरनसर

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरनसर

का खातेदार अधिकार प्राप्त कर बतौर खातेदार रिकार्ड में वादी के नाम इन्द्राज की कोशिश कार्यवाही जावे।

बाद दावा पेश होने पर प्रतिवादी के समक्ष जारी किये गये। प्रतिवादी स्टेट की ओर से जवाबदावा पेश होने पर बाद दावा व जवाबदावा के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की जाकर उभय पक्ष को व्याख्या की गई:-

1. आया कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर के आदेश दिनांक 10-9-1981 के आधार पर वादी बादगत भूमि का खातेदार अधिकार प्राप्त करने का मुस्तहक है।

— जिम्मेवादी

2. आया कि वादी बादगत भूमि सरकार/राज की जगह राजस्व रेकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाने का हकदार है।

— जिम्मेवादी

3. आया कि वादी बादगत भूमि बाबत प्रतिवादी के विरुद्ध चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है।

— जिम्मेवादी

4. आया कि वादी बादगत भूमि सरकार/राज के स्थान पर अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है जिसका कोई आधार नहीं है। इसलिए दावा खारिज फरमाया जावे।

— जिम्मे प्रतिवादी

5. आया कि वादी का बादगत भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज योग्य है।

— जिम्मे प्रतिवादी

6. दादरसी

तनकीयात की व्याख्या की जाकर उभय पक्ष को शहादत पेश करने के अवसर प्रदान किये गये। वादी की ओर से

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.02.23 18:08:48 IST
Reason: SelfAttested

रोही मौजा जसवन्तसर की जमाबन्दी सं. 2064 से 2067 के ख.नं. 401/1 की तादादी 8.04 बीघा बाबत राज की प्रमाणित प्रति पेश की गई जो EXP-1 है। इन्तकाल संख्या 646 दिनां. 17-9.1981 की प्रमाणित प्रति EXP-2, जमाबंदी प्रमाणित ग्राम जसवन्तसर सम्वत 2037 से 2040 ख.नं. 431/43 तादादी 27-00 बीघा वादी के नाम की पेश की जो EXP 3 है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2040 से 2043 ग्राम जसवन्तसर वादी की ख.नं. 431/43 की तादादी 27-00 बीघा खातेदार ई.नं. 544 पेश की जो EXP-4 है। इसी प्रति आदेश उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर दि. 18-9-1981 पेश की। मौखिक साक्ष्य में शपथ पत्र वादी व गवाह [illegible] पेश किये जिस पर जिरह प्रतिवादी की गई।

प्रतिवादी स्टेट की ओर से कोई साक्ष्य पेश नही होने से साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित कथनो की पुनरावृति करते हुए कथन किया कि रोही मौजा जसवन्तसर के ख.नं. 431/43 में वादी की 27-00 बीघा खातेदारी भूमि थी जिसमें से राजस्व अभियान दिनांक 18-9-1981 को वादी की 27-00 बीघा भूमि में से 0-00 बीघा भूमि आबादी हेतु स्वीकृत करते हुए आदेश में वादी को 0-04 बीघा भूमि बदले में आवंटन करदी गई जिसका रिकार्ड में अमल नहीं किया गया। मौका पर ख.नं. 401/1 की तादादी 0-04 बीघा पर वादी का मिल्कियत कब्जा काश्त चला आ रहा है। अमला स्टाफ की उदासीनता के कारण आज दिनांक तक रिकार्ड में आवंटित भूमि का अमल नहीं किया। जिसका अमल कराने हेतु घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है। अतः वादी का वाद स्वीकार [illegible] आवंटित भूमि मौजा रोही जसवन्तसर के ख.नं. 401/1 की 0-04 बीघा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.02.23 18:08:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

वकील वादी की बहस के अनुसार मे पैरोकार राज का कथन है कि वादी यह कथन तो स्वीकार योग्य है कि उसके नाम से खेती मौजा [illegible] के ख.नं. 431/43 मे इसके नाम से 21-00 बीघा भूमि खातेदारी दर्ज रिकार्ड थी जिसमें से राजस्व अधिग्रहण दिनांक 18-9-1986 को 13-00 बीघा आबादी मे स्वीकृत की जाकर उसे अन्य भूमि आवंटन आदेश जारी किया गया का कथन प्रमाणित नहीं होता है नाही ऐसा कोई आदेश वादी द्वारा पेश किया गया। वादी का खसरा नम्बर 401 की आराजी 8-04 बीघा पर कभी कब्जा रहा है, रिकार्ड से साबित नहीं होता है। राजस्व अधिग्रहण दिनांक 18-9-1986 को आबादी स्वीकृति आदेश मे कालम पंक्ति "आबादी मे ली गई भूमि के बदले वादी से प्रार्थना पत्र लेकर अन्यत्र भूमि देने के लिये आदेश प्रसारित किये जा रहे है"/ आवेदन पत्र लिया गया तथा अन्यत्र भूमि कहाँ आवंटित की गई, का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः वाद वादी खारिज योग्य है

हमने बहस का मनन किया। प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया। वादी पर भूमि तीन तनकीयात को साबित करने का जिम्मा था। वादी साबित करने मे असफल रहा है। अतः तनकीयात 1 ता 3 खिलाफ वादी तय की जाती है। इसके विपरीत तनकी संख्या 4 व 5 प्रतिवादी को साबित करनी थी जो साबित होती है। वादी के पास खसरा नं 401 की आराजी 8-04 बीघा को अपने नाम करने कराने का कोई आधार नहीं है। दोयम वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा बाबत रिकार्ड से साबित नहीं होता है।

इस प्रकार उपरोक्त मे किये गये विवेचन के आधार पर वाद वादी साबित नहीं होने से [illegible] डिगरी जारी हो। कानूनी निर्णय [illegible] हो

निर्णय आज दिनांक 07/06/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे उद्घोषित किया।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]नगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.02.23 18:08:48 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर

ब इजलास : अशोक कुमार, आरएएस

फरीद खॉ **बनाम सरकार**

दावा अंतर्गत धारा 88,89,92ए,188 आरटीए एवं धारा136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर :– 13/2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री लालचन्द जाट, अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुदई पैरोकारराज राज्य की ओर से मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद वादी वादगत भूमि पर वादी का कब्जाकाश्त रिकार्ड से साबित नहीं होता हैं। उपरोक्त बहस में किये गये विवेचन के आधार पर वाद वादी साबित नहीं होने से खारिज किया जाता हैं।

नीज ....- ....मुबलिक ....- ....बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... -............................ फीस सदी सालाना आज की तारीख से वसूल याबो तक ....-.......................... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 07.06.2022 को डिक्री जारी की गई।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.02.23 18:08:48 IST
Reason: SelfAttested